<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 –4, बरेली</u>

परिवाद सं0 402/2024

श्रीमती राजवती बनाम जितेन्द्र आदि

अन्तर्गत धारा 427, 323, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना भुता, बरेली।

<u>दिनांक 30.01.2025</u>

1- पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी राजवती न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। परिवादिनी द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण से उनका समझौता हेा गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हूॅ। परिवादिनी द्वारा उपरोक्त मुकदमा समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी राजवती द्वारा प्रस्तुत परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसमें दिनांक 09.10.2018 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण जितेन्द्र, हरप्रसाद, श्रीमती गीता व राजेन्द्र को विचारण हेतु तलब किया गया था। परिवादिनी का बयान न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया। अपने बयान में परिवादिनी राजवती द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयान में शपथपूर्वक बयान किया गया है कि ''दिनांक 31.10.2017 को विपक्षीगण जितेन्द्र, हरप्रसाद, श्रीमती गीता व राजेन्द से उनकी कहा सुनी हो गयी थी जिसके कारण उन्होंने मुकदमा कर दिया था। अभियुक्तगण ने उन्हें मारा पीटा नहीं था और न ही गंदी गंदी गालियां दीं थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी और न ही तोडफोड की थी। परिवादिनी द्वारा अपने बयान में यह भी कथन किया गया है कि विपक्षीगण से उनका समझौता हो गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती हैं।'' परिवादिनी द्वारा आदेश पत्रक में अन्य कोई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया गया है।

3. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण को समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं किया गया है। तद्नुसार अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त अपराध से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्तगण उपरोक्त को आदेशित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत बंध पत्र इस आशय का प्रस्तुत करें कि न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर वह न्यायालय में उपस्थित होगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार दुबे)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–4, बरेली।

Digitally signed by SURESH KUMAR DUBEY
Date: 2025.02.12 12:17:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court